

मध्यप्रदेश विधान सभा
पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 (पौष 3, 1940)

पंचदश मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र का प्रारंभ

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पंचदश मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रथम सत्र सोमवार, दिनांक 7 जनवरी, 2019 को प्रारंभ होगा।

प्रथम सत्र में कार्य निष्पादन के लिए दिनों का नियतन

(1) इस सत्र हेतु की गई व्यवस्था के अनुसार, कार्य-निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर निम्नलिखित दिनांकों के लिए नियत की गई हैं:—

जनवरी 7, 8, 9, 10 एवं 11.

(2) बैठकों की अस्थायी दिनदर्शिका सदस्यों को अलग से भेजी जा रही है।

विधान सभा की बैठकों का समय

जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें, बैठकों के दिनों में, विधान सभा की बैठकें, पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक और अपराह्न 3.00 बजे से 5.30 बजे तक होंगी।

निर्वाचन के प्रमाण-पत्र

निर्धारित शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के संबंध में सदस्यों से निवेदन है कि वे निर्वाचन संचालन नियमों के नियम 66 के अन्तर्गत निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए अपने निर्वाचन के प्रमाण-पत्र को अपने साथ लायें और विधान सभा के प्रमुख सचिव या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को रविवार, दिनांक 6 जनवरी 2019 को मध्याह्न-पश्चात् 5.00 बजे तक किसी भी समय अथवा सोमवार, दिनांक 7 जनवरी, 2019 को मध्याह्न-पूर्व 8 से 10 बजे के बीच दिखायें। उन्हें उक्त पदाधिकारी को यह भी बताना चाहिए कि वहां वे शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे और यह भी कि हिन्दी, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी भाषा में से किस भाषा में शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के इच्छुक हैं ताकि तदनुसार प्रबन्ध किया जा सके।

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

सदस्य सोमवार, दिनांक 7 जनवरी एवं मंगलवार, दिनांक 8 जनवरी, 2019 को मध्याह्न पूर्व से विधान सभा में शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 188 में अपेक्षित है।

शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जावेगी :—

सर्वप्रथम क्रमशः: माननीय मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य तथा सभापति-तालिका के सदस्य शपथ लेंगे, तत्पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र के क्रमानुसार पुकारे जाने पर सदस्य प्रमुख सचिव की टेबिल की दाहिनी ओर आयेंगे जहां कार्यालय टेबिल पर अपने निर्वाचन का प्रमाण-पत्र बतलाने पर उन्हें शपथ/प्रतिज्ञान का प्रपत्र दिया जाएगा और प्रमुख सचिव की टेबिल के सामने रखी कुर्सी पर अपने क्रम से बैठेंगे तथा अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करेंगे, बारी आने पर वे अध्यक्ष के मंच की ओर उन्मुख होकर माईक के पास प्रपत्र के अनुसार शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान करेंगे और प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात् वे अध्यक्ष से हाथ मिलायेंगे या नमन करेंगे और प्रमुख सचिव की टेबिल पर रखी सदस्य नामावली पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त सभा में अपना आसन ग्रहण करेंगे।

अध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में विस्तृत जानकारी और प्रक्रिया को दर्शाने वाला पत्रक भाग-दो पृथक् से जारी किया जावेगा।

विधान सभा के समक्ष राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल, विधान सभा वेश्म में समवेत् विधान सभा के समक्ष मंगलवार, दिनांक 8 जनवरी, 2019 को अभिभाषण करेंगे। इस संबंध में पृथक् से पत्रक भाग-दो जारी किया जायेगा। सदस्यों से निवेदन है कि जब राज्यपाल का अभिभाषण हो, उस समय सभा भवन से बाहर न जायें।

राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां अभिभाषण समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् सूचना कार्यालय में सदस्यों के उपयोग के लिए रखी गई खानेदार अलमारी से वितरित की जायेंगी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी तथा शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी, 2019 अस्थायी रूप से नियत किये गये हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत किये जाने वाले कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचना मंगलवार, दिनांक 8 जनवरी, 2019 को अपराह्न 4.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में दी जा सकती है, कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के प्रपत्र की प्रतियां सूचना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से निम्नांकित नियम 251 की ओर दिलाया जाता है :—

“251. बोलते समय कोई सदस्य—

- (1) किसी ऐसे तथ्य-विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबित हो।
- (2) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा।
- (3) संसद् या किसी राज्य विधान मण्डल की कार्यवाही के संचालन के विषय में आपत्तिजनक पदावली का उपयोग नहीं करेगा।
- (4) सभा के किसी निर्णय पर उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर अन्य प्रकार के आक्षेप नहीं करेगा।
- (5) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।

व्याख्या—शब्द “उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों” का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अधीन केवल उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जा सकती है, या ऐसे अन्य व्यक्तियों से हैं, जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में उनके द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जानी चाहिए।

- (6) अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा।”

सूचनाओं के पहले से प्रकाशन पर प्रतिबंध

विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन दी जाने वाली किसी भी सूचना के प्रकाशन को नियम 236-क निम्नानुसार प्रतिबंधित करता है :—

“236-क. किसी सूचना का प्रकाशन किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो :

परन्तु किसी प्रश्न की सूचना का उस दिन तक कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा जिस दिन कि उस प्रश्न का सभा में उत्तर दिया जाए।”

विधान सभा भवन में सुरक्षा व्यवस्था

विधान सभा एवं उसकी समितियों के सुचारू रूप में कार्य संचालन हेतु विधान सभा में सुरक्षा की व्यवस्था रहती है तथा बाहरी व्यक्तियों को विधान सभा में प्रवेश देने हेतु प्रवेश-पत्र जारी किये जाते हैं। माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने साथ दर्शकों को विधान सभा परिसर, दीर्घाओं व विभिन्न कक्षों में बिना प्रवेश-पत्र के प्रवेश देने हेतु सुरक्षा कर्मियों को बाध्य न करें। इससे सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान उपस्थित होता है। सत्रकाल में अपने साथ लाने वाले दर्शकों को प्रवेश-पत्र बनवाकर ही उन्हें विधान सभा परिसर व कक्षों एवं भवन में प्रवेश दिलायें।

माननीय सदस्यों की सुरक्षा की दृष्टि से विधान सभा भवन में मोबाइल फोन तथा इससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। माननीय सदस्यों के साथ जो व्यक्ति विधान सभा परिसर अथवा भवन में आते हैं, उन्हें सभा भवन एवं परिसर में मोबाइल फोन तथा इससे संबंधित उपकरण आदि लाये जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा कर्मियों द्वारा यदि माननीय सदस्यों से अथवा सदस्यों के साथ आने वाले व्यक्तियों से उनका परिचय पूछा जाता है अथवा उनसे परिचय-पत्र / प्रवेश-पत्र दिखाये जाने की मांग की जाती है तो उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने की अपेक्षा माननीय सदस्यों से की जाती है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभा भवन एवं परिसर में वे अपना परिचय-पत्र टृप्टिव्यं रूप से लगाकर रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सदस्यों के लिए साहित्य

सत्रकाल में सदस्यों के उपयोग के लिए साहित्य, सूचना कार्यालय में खानेदार अलमारी में रखकर वितरित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य अपने नाम के ऊपर वाले खाने से ही अपना साहित्य निकालने का कष्ट करें।

सदस्य का नाम व पता

सदस्यों से अनुरोध है कि अपने नाम व पते अथवा दूरभाष क्रमांकों में किये गये परिवर्तन की सूचना भी विधान सभा सचिवालय को तुरन्त देने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार उनसे उक्त पते पर ही पत्र व्यवहार/सम्पर्क किया जा सके।

सदन की कार्यवाही से संबंधित पत्र

सभा की दैनिक कार्यवाही से संबंधित पत्रों की प्रतियां सदस्यों को उनके निवास स्थानों पर भी भेजी जाती हैं। उन पत्रों को संभालकर रखने व उन्हें यथासमय उपयोगार्थ साथ लाने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही दैनिक कार्यवाही व प्रतिवेदित कार्यवाही विधान सभा की वेबसाईट www.mpvidhansabha.nic.in पर भी उपलब्ध रहती है।

विभाजन घंटियां

घंटियों का बटन प्रमुख सचिव की टेबिल के समीप होता है। घंटियां सूचना कार्यालय तथा सभा कक्षों (लाबियों) में लगी हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाने पर सभा कक्षों (लाबियों) को खाली कराया जाता है तथा मत विभाजन की घंटियां बजाई जाती हैं। ये घंटियां बजाई जाने पर सभा कक्षों (लाबियों), सूचना कार्यालय, समिति कक्षों, स्वल्पाहार गृहों तथा मंत्रियों इत्यादि के कक्षों तक सुनाई पड़ती हैं जब घंटियां लगातार बजती हैं तो वह इस बात का द्योतक है कि विधान सभा में मत विभाजन होने वाला है, घंटियां दो मिनट तक बजती हैं। जब घंटियां बजना बंद हो जाती हैं तब तत्काल आंतरिक सभा कक्ष (लाबी) के सभी दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं, ताकि मत विभाजन होने तक सभा में इन दरवाजों से न कोई भीतर आ सके और न ही कोई उनसे बाहर जा सके। सभा कक्ष (लाबी) खाली हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी दूसरी बार प्रश्न प्रस्तुत करते हैं और धोषणा करते हैं कि उनकी राय में “हाँ” अथवा “ना” पक्ष का बहुमत है। यदि पीठासीन अधिकारी की उस राय को फिर से किसी सदस्य द्वारा चुनौती दी जाती है तो निर्णय मत विभाजन द्वारा किया जाता है और पीठासीन अधिकारी मत लेने का तरीका निर्धारित करते हैं।

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।